बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–50/2016 1180 /कृ0, पटना दिनांक 15-03-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के पुनरीक्षित कार्य योजना तथा दलहन अन्तर्गत "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन कार्यक्रम" हेतु केन्द्रांश में 4498.118 लाख (चौवालिस करोड़ अंठानवे लाख ग्यारह हजार आठ सौ) रूपये एवं राज्यांश में 2998.745 लाख (उनतीस करोड़ अंठानवे लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये कुल 7496.863 लाख (चौहत्तर करोड़ छियानवे लाख छियासी हजार तीन सौ) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश 1921.44 लाख (उनीस करोड़ इक्कीस लाख चौवालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 2998.745 लाख (उनतीस करोड़ अंठानवे लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये कुल 4920.185 लाख (उन्चास करोड़ बीस लाख अठारह हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा दलहन के बीज पर अनुदान (टॉप अप) देने हेतु राज्य योजना मद में कुल 950.00 लाख (नौ करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत 579.00 लाख (पाँच करोड़ उनासी लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के पुनरीक्षित कार्य योजना तथा दलहन अन्तर्गत "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन कार्यक्रम" हेतु केन्द्रांश में 4498.118 लाख (चौवालिस करोड़ अंठानवे लाख ग्यारह हजार आठ सौ) रूपये एवं राज्यांश में 2998.745 लाख (उनतीस करोड़ अंठानवे लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये कुल 7496.863 लाख (चौहत्तर करोड़ छियानवे लाख छियासी हजार तीन सौ) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश 1921.44 लाख (उनीस करोड़ इक्कीस लाख चौवालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 2998.745 लाख (उनतीस करोड़ अंठानवे लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये कुल 4920.185 लाख (उन्चास करोड़ बीस लाख अठारह हजार पाँच सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा दलहन के बीज पर अनुदान (टॉप अप) देने हेतु राज्य योजना मद में कुल 950.00 लाख (नौ करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत 579.00 लाख (पाँच करोड़ उनासी लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या–4028 दिनांक 16.09.2016 द्वारा इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में 6106.239 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 4070.822 लाख रूपये कुल 10177.061 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 का अवशेष एवं अव्यवहृत राशि को जोड़कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूँ, कोर्स सिरियल एवं दलहन कार्यक्रम के पुनरीक्षित कार्य योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के आलोक में अतिरिक्त योजना स्वीकृत की गयी है।

3. भारत सरकार से वर्ष 2016–17 में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियलका स्वीकृत पुनरीक्षित कार्ययोजना (वर्ष 2015–16 का अवशेष

एवं अव्यवहृत राशि सहित) के आलोक में स्वीकृत कार्ययोजना का फसलवार एवं कार्यघटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्रमशः अनुसूची–1, 2, 3 एवं 4 पर तथा जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–5, 6, 7 एवं 8 पर अनुलग्न है। इसके अलावा दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन" कार्यक्रम का गरमा वर्ष 2016–17 में कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से स्वीकृत कार्ययोजना के आलोक में "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन" कार्यक्रम का कार्यघटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–9 पर एवं जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–10 पर संलग्न है। राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता के अंतर्गत अनुदानित दर पर गरमा मूंग/उड़द का प्रमाणित बीज वितरण का निर्धारित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–11 पर अनुलग्न है। भारत सरकार द्वारा चयनित राज्य के 15 जिलों में चावल, 10 जिलों में गेहूँ, 38 जिलों में दलहन, तथा 11 जिलों में कोर्स सिरियल कार्यक्रम कार्यान्वित किये जायेगें। उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर व्यय हेतु स्वीकृत राशि की समेकित विवरणी अनुसूची–12 पर अनुलग्न है।

4. वर्ष 2016–17 के लिये नई योजना है। विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल) कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र0 सं0.	वर्ष	केन्द्रांश		राज्यांश		कुल	
		उपलब्ध राशि	व्यय राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि
1	2013–14	67.31	47.35	9.56	0.00	76.88	47.35
2	2014–15	86.29	53.47	0.225	0.031	86.52	53.50
3	2015–16	81.48	46.17	49.02	33.48	130.05	79.65

भारत सरकार द्वारा बीज अनुदान मद में निर्धारित अनुदान दर वास्तविक मूल्य दर से काफी कम होने के कारण विगत वर्षों में उपलब्धि प्रभावित हुआ है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनुदान–दर में वृद्धि के लिये राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता की स्वीकृति चालू वर्ष में ली गयी है। दलहनी फसलें विशेष कर अरहर एवं मसूर के प्रमाणित बीज की कम उपलब्धता रहने के कारण विगत वर्षों में उपलब्धि प्रभावित हुआ है। चालू वर्ष में इस हेतु दलहनी फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम रखा गया है।

5. यह योजना बिहार कृषि प्रबंधन तथा प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। उक्त संस्थायें सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत निबंधित है। वर्ष 2014–15 से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि की कोषागार से निकासी एवं व्यय का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत बामेती एवं आत्मा का वर्ष 2014–15 तक अंकेक्षण किया गया है। वर्ष 2014–15 में व्यय की गयी राशि का अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा गया है। वर्ष 2015–16 में व्यय की गयी राशि का औपबंधिक उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा गया है तथा अंकेक्षण कार्य कराया जा रहा है।

6. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2016–17 में कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम का पुनरीक्षित कार्ययोजना (वर्ष 2015–16 का अवशेष एवं अव्यवहृत राशि सहित) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन" कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के आलोक में योजना के कार्यान्वयन तथा इस हेतु उपलब्ध उद्व्यय/उपबंध अंतर्गत राशि एवं व्यय की स्वीकृति फसलवार/कार्यक्रमवार निम्न प्रकार है (फसलवार एवं कार्यघटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 से अनुसूची–11 पर अनुलग्न): राशि लाख रूपये में

फसल	कार्ययोजना के पुनरीक्षण के फलस्वरूप भारत सरकार से अद्यतन स्वीकृत कार्ययोजना की राशि			पूर्व में स्वीकृत राशि			स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता			अवशेष उद्व्यय/उपबंध अंतर्गत व्यय की स्वीकृत राशि		
	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चावल (पुनरीक्षित)	4040.658	2693.772	6734.43	2379.00	1586.00	3965.00	1661.66	1107.77	2769.43	1412.941	941.960	2354.902
गेहूँ (पुनरीक्षित)	1500.850	1000.567	2501.417	918.60	612.40	1531.00	582.25	388.17	970.42	582.250	388.167	970.417
दलहन (पुनरीक्षित)	4154.579	2769.720	6924.299	2194.189	1462.792	3656.981	1960.38	1306.93	3267.31	1666.959	1111.306	2778.265
कोर्स सिरियल (पुनरीक्षित)	576.168	384.112	960.28	460.20	306.80	767.00	115.99	77.327	193.32	115.968	77.312	193.28
योग	10272.255	6848.171	17120.43	5951.989	3967.992	9919.981	4320.28	2880.197	7200.48	3778.118	2518.745	6296.864

दलहन (अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन)	720.00	480.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	720.00	480.00	1200.00	720.00	480.00	1200.00
योग	**10992.26**	**7328.171**	**18320.43**	**5951.989**	**3967.992**	**9919.981**	**5040.28**	**3360.197**	**8400.48**	**4498.118**	**2998.745**	**7496.863**
व्यवसायिक फसल												
गन्ना	84.05	56.03	140.08	84.05	56.03	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जूट	70.20	46.80	117.00	70.20	46.80	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**154.25**	**102.83**	**257.08**	**154.25**	**102.83**	**257.08**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**11146.51**	**7431.001**	**18577.51**	**6106.239**	**4070.822**	**10177.061**	**5040.28**	**3360.197**	**8400.48**	**4498.118**	**2998.745**	**7496.863**

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 का केन्द्रांश मद की अवशेष एवं अव्यवहृत राशि का वर्ष 2016–17 में उपयोग हेतु कुल 4655.85 लाख रूपये की राशि का पुर्नवैद्धीकरण किया गया है। उक्त के आलोक में योजना के कार्यान्वियन हेतु केन्द्रांश मद में उपर्युक्त राशि (4498.118 लाख रूपये) के अंतर्गत 1921.44 लाख रूपये का निकासी एवं व्यय कोषागार से किया जायेगा तथा शेष राशि 2576.678 लाख रूपये का व्यय वर्ष 2015–16 का संबंधित मद में बैंक खाता में उपलब्ध एवं अव्यवहृत राशि से की जायेगी।

7. वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल एवं गेहूँ कार्यक्रम के तहत् लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम अंतर्गत बीज निबंधन/प्रमाणीकरण प्रोत्साहन मद में तथा दलहन कार्यक्रम अंतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन मद में स्वीकृति एवं आवंटित राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति एवं आवंटित राशि की निकासी कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता–271 में अंतरित की जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना द्वारा कृषि निदेशक से अनुमोदनोपरांत उक्त अंतरित राशि से संबंधित बीज उत्पादक को प्रसंस्कृत एवं प्रमाणित बीज की मात्रा के विरूद्ध निर्धारित दर के अनुसार डी0बी0टी0 (आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना द्वारा प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय को भेजा जाएगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी।

8. योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय के स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध उद्व्यय एवं उपबंध के अंतर्गत किया गया है। स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

9. वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल कार्यक्रम का कार्यान्वियन भारत सरकार से स्वीकृत एवं पुनरीक्षित कार्य योजना के आलोक में किया जाएगा। उक्त फसलों के लिये पुनरीक्षित कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना के कार्यान्वियन हेतु केन्द्रांश मद की राशि की निकासी एवं व्यय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 का अवशेष एवं अव्यवहृत राशि का वर्ष 2016–17 में उपयोग हेतु किये गये पुर्नवैद्धीकरण के आलोक में स्वीकृत राशि (3778.118 लाख रूपये) के अंतर्गत 1201.44 लाख रूपये की राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार से की जायेगी तथा शेष 2576.678 लाख रूपये की राशि का व्यय बैंक खाता में उपलब्ध एवं अव्यवहृत राशि से की जायेगी।

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु केन्द्रांश मद में स्वीकृत राशि 720.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 480.00 लाख रूपये की राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

11. स्वीकृत अनुदान दर पर गरमा मूंग/उड़द का प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत 371.00 लाख रूपये की राशि की निकासी एवं व्यय राज्यादेश पत्र संख्या–4028 दिनांक 16.09.2016 द्वारा उक्त मद में स्वीकृत राशि अंतर्गत अवशेष राशि से की जायेगी तथा 579.00 लाख रूपये राशि की निकासी एवं व्यय अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन कार्यक्रम (दलहन) अंतर्गत स्वीकृत राशि से की जायेगी।

12. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–कोर्स सिरियल कार्यक्रम अंतर्गत हाईब्रीड मक्का फसल कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य खरीफ में शेष रहने पर इसे गरमा मौसम में पूरा किया जायेगा।